कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), कौलागढ़ उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

स0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-18/2018-19/

दिनांक : /06/2018

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,

टिहरी गढ़वाल

जनपद- टिहरी गढ़वाल

विषय: जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल का वर्ष 02/2017 से 03/2018 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में **शून्य** प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में **06** प्रस्तर तथा STAN मे **शून्य** प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 18/2018-19/ दिनांक: /06/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड़ सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0 पार्क के पास, देहरादून

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

3- मुख्य विकास अधिकारी, **टिहरी गढ़वाल**, जनपद- **टिहरी गढ़वाल** ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण आख्या **जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह , स0ले0प0अ0, श्री एल0एस0 लिंगवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री राजवेश भट्ट, ले0प0 द्वारा दिनांक **17.02.2017** से **25.02.2017** तक श्री त्रिलोक सिंह नेगी, ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें **06/2014 से 01/2017** के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **-**

(ii) जनसंख्या: -

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **-**

(iv) इकाई द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या:-

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **-**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **121**

(vii) इकाई की संपत्तियाँ: -

(viii) ग्राम पंचायतों की संख्या: **1032**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार(भाग I के अनुसार)**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:
(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:
(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **कोई नहीं**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

2(ii) अ- कार्यालय **जिला पंचायत राज** अधिकारी, **टिहरी गढ़वाल को विगत 03 वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण -**

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष)धनराशि ` हजार में(			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आधिक्य (+) `	बचत (-)`	आधिक्य (+) `	बचत -) (`
2015-16	0	0	54421000	50121867	291474158	291474158	-	4299133*	-	0
2016-17	0	0	70318200	56563063	347569608	345945368	-	13755137*	-	1624240
2017-18	0	1624240	67682300	63542346	467203420	464423833	-	4139954*	-	4403827

* स्थापना मद के अन्तर्गत अवशेष धनराशि को कोषागार/निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून को समर्पित की जाती है।

2(ii) ब- जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढवाल का वर्षवार योजनाओ का आय व्यय विवरण (धनराशि ` हजार में)						
क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष–2015–16				
		पूर्व अवशेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	राज्य वित्त आयोग, ग्रा0पं0 अंश	0	76348000	76348000	76348000	0
2	राज्य वित्त आयोग, क्षे0पं0 अंश	0	37701000	37701000	37701000	0
3	14वां. वित्त आयोग, ग्राम पंचायत अंश	0	166112000	166112000	166112000	0
4	क्षेत्र पंचायत विकास निधि	0	6513158	6513158	6513158	0
5	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन निर्माण)	0	2400000	2400000	2400000	0
6	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन अनुरक्षण)	0	2400000	2400000	2400000	0
	कुल योग		**291474158**	**291474158**	**291474158**	

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष–2016–17 (धनराशि हजार में)				
		पूर्व अवशेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग, ग्रा0पं0 अंश	0	77226000	77226000	77226000	0
2	राज्य वित्त आयोग, क्षे0पं0 अंश	0	30835000	30835000	30835000	0
3	14वां. वित्त आयोग, ग्राम पंचायत अंश	0	229986000	229986000	229986000	0
4	क्षेत्र पंचायत विकास निधि	0	6513158	6513158	6513158	0
5	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन निर्माण)	0	0	0	0	0
6	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन अनुरक्षण)	0	1000000	1000000	1000000	0
7	प्रशिक्षण मद–जी0पी0डी0पी0	0	1438350	0	99660	1338690
8	सूचना का अधिकारी अधिनियम प्रशिक्षण	0	571100	571100	285550	285550
	कुल योग		**347569608**	**347569608**	345945368	**1624240**

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष–2017–18 (धनराशि हजार में)				
		पूर्व अवशेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	अंतिम अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग, ग्रा0पं0 अंश	0	91662000	91662000	91662000	0
2	राज्य वित्त आयोग, क्षे0पं0 अंश	0	56181000	56181000	56181000	0
3	14वां. वित्त आयोग, ग्राम पंचायत अंश	0	305535000	305535000	305535000	0
4	क्षेत्र पंचायत विकास निधि	0	0	0	0	0
5	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन निर्माण)	0	0	0	0	0
6	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन अनुरक्षण)	0	0	0	0	0
7	प्रशिक्षण मद–जी0पी0डी0पी0	1338690	3237420	4576110	457833	4118277
8	सूचना का अधिकारी अधिनियम प्रशिक्षण	285550	0	285550	0	285550
9	जिला योजना	0	10588000	10588000	10588000	0
	कुल योग	**1624240**	**467203420**	**468827660**	**464423833**	**4403827**

लेखाओं पर टिप्पणीः-

(i) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारुप में नही किया जा रहा हैं।

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी ,टिहरी गढ़वाल का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	166112000	166112000	166112000	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	229986000	229986000	229986000	0
2017-18	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	305535000	305535000	305535000	0
2015-16	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन निर्माण)	0	2400000	2400000	2400000	0
2016-17	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन निर्माण)	0	0	0	0	0
2017-18	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन निर्माण)	0	0	0	0	0
2015-16	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन अनुरक्षण)	0	2400000	2400000	2400000	0
2016-17	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन अनुरक्षण)	0	1000000	1000000	1000000	0
2017-18	आर0जी0पी0एस0ए0 (पंचायत भवन अनुरक्षण)	0	0	0	0	0

भाग II-'ब '

प्रस्तर 01– धनराशि ` 45.34 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को वित्तीय वर्ष 2017–18 में 14वे वित्त आयोग एंव राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों में विकास कार्यो हेतु धनराशि अन्य के साथ निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधिन संक्रमित की गयी थी–

1. ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/ब्लाक प्रमुख से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन तथा सचित, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में विगत वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान में संक्रमित की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। प्रमाण पत्र के साथ कराये गये कार्यों का पूर्ण विवरण(कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

इकाई के लेखा–अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2017–18 में 14वे वित्त आयोग एंव राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत था–

मद	वर्ष	किश्त	आवंटित धनराशि (रू0लाख में)	शासनादेश सं0/दिनांक	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने की तिथि
14वां वित्त (ग्राम पं0)	**2017–18**	प्रथम	15.28 करोड़	618/XXVII(1)/2015 दिनांक 03/07/2017	30/09/2017
		द्वितीय	15.28 करोड़	1238/XXVII(1)/2015 दिनांक 24/11/2017	31/03/2018
राज्य वित्त (ग्रा0पं0)	**2017–18**	प्रथम	2.65 करोड़	423/03(वि0आ0निदे0)XXVII(1)/2017 दिनांक 25/04/2017	31/08/2017
		प्रथम (अवशेष धन0)	1.34 करोड़	696/03(वि0आ0निदे0)XXVII(1)/2017 दिनांक 18/07/2017	30/09/2017
		द्वितीय	4.02 करोड़	1003/03(वि0आ0निदे0)XXVII(1)/2017 दिनांक 06/10/2017	31/03/2018
		द्वितीय (अवशेष धन0)	1.15 करोड़	24/03(वि0आ0निदे0)XXVII(1)/2017 दिनांक 04/01/2018	31/03/2018
राज्य वित्त (क्षे0पं0)	**2017–18**	प्रथम	1.87 करोड़	424/03(वि0आ0निदे0)XXVII(1)/2017 दिनांक 25/04/2017	31/08/2017
		प्रथम (अवशेष धन0)	0.94 करोड़	697/03(वि0आ0निदे0)XXVII(1)/2017 दिनांक 18/07/2017	30/09/2017
		द्वितीय	2.81 करोड़	1002/03(वि0आ0निदे0)XXVII(1)/2017 दिनांक 06/10/2017	31/03/2018
		कुल योग	**4524.77**		

आगे जांच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि उपरोक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों से प्राप्त नही किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र करने की कार्यवाही की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उसी वित्तीय वर्ष में प्रषित किया जाना था।

अतः धनराशि धनराशि ` 45.34 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

|

भाग II(ब)

प्रस्तर 02- 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संकमित धनराशि के अन्तर्गत 10 प्रतिशत कन्टिजेन्सी से 0.5 प्रतिशत(वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 हेतु) एवं 2 प्रतिशत (वर्ष 2017–18 हेतु) की धनरशि रू0 80.91 लाख निदेशालय को प्रेषित न किया जाना।

शासनादेश संख्या– 391 / XX(1)/2016-96(06)/2015- टी0सी0 –II दिनांक 12.04.2016 के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण, मूल्यांकन, रिर्पोटिग एवं आडिट के कार्यों हेतु 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में 10 प्रतिशत कटिंजेंसी के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत एंव शासनादेश संख्या–177 XX(1)/2017-96(06)/2015- टी0सी0 –II दिनांक 29.05.2017 के द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि का 02 प्रतिशत(वित्तीय वर्ष 2017–18) की धनराशि निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के 14वें वित्त आयोग से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जनपद टिहरी को वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्धारित अंश निम्न प्रकार आंकलित होता है जिसे निदेशालय को प्रेषित किया जाना था–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	आवंटित धनराशि (2015–16)	निर्धारित 0.5% अंश	आवंटित धनराशि (2016–17)	निर्धारित 0.5% अंश	आवंटित धनराशि (2017–18)	निर्धारित 2% अंश	कुल योग (3+5+7)
1	2	**3**	4	**5**	6	**7**	8
1	1661.12	**5.30**	2299.86	**11.50**	3055.35	**61.11**	**80.91**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि आंकलित धनराशि रू0 80.91 लाख के सापेक्ष निदेशालय को धनराशि प्रेषित नही की गयी है तथा ग्राम पंचायतों से धनराशि प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नही है। क्योंकि उक्त धनराशि को निदेशालय प्रेषित किया जाना था। जिसका उपयोग अनुश्रवण, मुल्यांकन, रिपोर्टिग एवं आडिट कार्यों हेतु किया जाना था।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 03– प्रशिक्षण मद की धनराशि ` 41.18 लाख का समर्पण न किया जाना।

जिला पंचायत राज अधिकारी टिहरी के प्रशिक्षण मद (जी0पी0डी0पी0) संबंधि अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई को जी0पी0डी0पी0 प्रशिक्षण मद में वर्ष 2017–18 में प्राप्त धनराशि ` 32.37 लाख एवं पूर्व अवशेष धनराशि ` 13.39 अर्थात उक्त मद में कुल धनराशि ` 45.76 लाख उपलब्ध थी। आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में जी0पी0डी0पी0 प्रशिक्षण सम्बंधित कार्यक्रमों पर मात्र रू0 4.58 लाख की धनराशि व्यय की गयी एवं लेखापरीक्षा तिथि तक धनराशि ` 41.18 लाख उक्त मद में अवशेष पड़े थे।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि निदेशालय से पत्राचार कर अवशेष पड़ी धनराशि के सम्बंध में निर्णय लिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त पडी धनराशि को सम्बंधित वर्ष में ही समर्पित कर दिया जाना चाहिए था। जिससे कि उक्त धनराशि का अन्य योजनाओं पर उपयोग किया जा सकता था।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 04– ब्याज की धनराशि ` 3.04 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

प्रमुख सवित वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून के आदेश कमांक–347 / वि.आ.नि.दे.(तृ.रा.वि.आ.) / 2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार समस्त पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि जोकि लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण विभिन्न बैंक खातों में जमा रहती है, पर प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि को अतिशीघ्र राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए।

जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के माह 02 / 2017 से 03 / 2018 तक के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई के बैंक खता संख्या –10803646800 में उक्त अवधि में प्राप्त ब्याज का विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	02 / 2017 से 03 / 2018 तक प्राप्त ब्याज
1	**भारतीय स्टेट बैंक, नरेन्द्र नगर**	**10803646800**	**304051.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ब्याज की धनराशि को शीघ्र की राजकोष में जमा करा दिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है। क्योंकि उक्त ब्याज की धनराशि को संबंधित लेखाशीर्ष में जमा किया जाना था।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II(ब)

<u>प्रस्तर 05-</u> अग्रिम की धनराशि ` 2.85 लाख का समायोजन न किया जाना तथा इस धनराशि को अवरुद्ध रखना ।

निदेशक, पंचायती राज उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2083/3–पं/ग्रा0पं0/16/2016–17 दिनांक 19.01.2017 के द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में लोक सूचना अधिकार के रूप में तैनात ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण के संबंध में निर्देशित किया गया था तथा पत्रांक 2375/पं0–2/लेखा/रा0 गां0 पं0 सं0 अ0/2016–17 दिनांक 09.03.2017 के द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उक्त प्रशिक्षण हेतु धनराशि ` 571100/– आवंटित की गयी थी।

जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के प्रशिक्षण सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत ग्राप पंचायत प्रधानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु मातृछाया पर्वतीय विकास समिति, गजा टिहरी गढ़वाल एवं क्षेत्रीय ग्रामीण समिति (राडस) को उक्त प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण हेतु अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशि का विवरण निम्नवत था–

क्र0 सं0	प्रशि0 प्रदान करने वाली संस्था का नाम	आवंटित धनराशि	अग्रिम के रूप(50प्रतिशत) में दी गयी धनराशि का विवरण	
			चैक सं0/दिनांक	धनराशि
1	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति(राडस), टि0ग0	5,71,100	45014/ 03.07.17	101,950
2	मातृछाया पर्वतीय विकास समिति, टि0ग0		45014/ 03.07.2017	183,600
	कुल योग	**571100**		**285,550**

आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त प्रशिक्षण हेतु अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशि ` 285550/– का समायोजन लेखापरीक्षा तिथि (05/2018) तक नही किया गया था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि उक्त प्रशिक्षण हेतु आवंटित धनराशि ` 571100/– के सापेक्ष ` 285550/– इकाई के पास विगत दो वर्षों से अवरूद्ध पडी हुई थी तथा न ही इकाई द्वारा उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय को प्रेषित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि ` 285550/– का उपयोग शीघ्र कर लिया जायेगा । इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि 01 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अग्रिम का समायोजन नही किया गया तथा **यह** धनराशि ` 285550/– इकाई के पास अवरूद्ध पडी हुई थी। जोकि विभागीय शिथिलता को दर्शाता है

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II(ब)

प्रस्तर 06- इकाई द्वारा रोकड़ बही का नियमित रख-रखाव न किया जाना ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–V भाग–I अध्याय III के नियम 27(A) अनुसार प्रत्येक कार्यालय में रोकड़ बही का रख–रखाव प्रपत्र 2 अथवा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जाना आवश्यक है। जिसमें कार्यालय द्वारा समस्त प्राप्तियों/सरकारी धन व उसके बैंक/कोषागार में जमा किये जाने का विवरण तथा कोषागार/बैंक से बिलों/चेकों के माध्यम से आहरित/व्यय धनराशि का अलग अलग स्तम्भ (Column) में अवश्य अंकन किया जाना चाहिए। किसी भी लेन–देन के बाद उसी दिन रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टि करने तथा रोकड़ बही की प्रतिदिन लेखाबंदी की जानी चाहिए एंव अवशेष धनराशि का मिलान किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तंभ के अवशेष को कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही के अंतिम अवशेष का बैंक/कोषागार/नगद रोकड से मिलान किया जाना चाहिए एंव इस सम्बंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रमाण पत्र भी लगाना चाहिए।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा माह जुलाई 2015 के बाद से रोकड़ बही नही भरी जा रही है ओर न ही विभागाध्यक्ष द्वारा रोकड़ बही का मासिक सत्यापन किया जा रहा है। इकाई द्वारा वर्ष के अन्त में बैंक समाधान विवरण भी नही बनाया जा रहा है। आगे जांच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा 11–सी रजिस्टर को अद्यतन नही किया जा रहा था एवं परिसम्पत्ति पंजिका का रख–रखाव न किया जाना एवं विभागीय प्राप्तियों जैसे– ब्याज, सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा नही किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए उत्तर में बताया कि रोकड़ बही को शीघ्र अद्यतन कर लिया जायेगा तथा विभागीय प्राप्तियों को शीघ्र संबंधित लेखाशीर्ष में जमा करा दिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि रोकड़ बही को नियमित रूप से न भरा जाना, विभागाध्यक्ष द्वारा इसका मासिक सत्यापन न किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। जोकि एक गंम्भीर अनियमितता है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** के लेखा/अभिलेखों की **02/2017** से **03/2018** तक की संप्रेक्षा श्री पी. सी. श्रीवास्तव, व. ले.प.अ., श्री केदार सिंह, स.ले.प.अ., श्री एस. के. डांग, पर्यवेक्षक तथा श्री अशोक कुमार मीणा , व.ले.प. द्वारा दिनांक **14.05.2018** से **24.05.2018** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-IV (ब) 1	भाग-IV (ब) 2	स्टैन
स्था0नि0 / प्रति0सं0–97 / 2016–17	शून्य	प्रस्तर सं0–01(अ), (ब)(स),(द), 02,03 एव, 04	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था0नि0 / प्रति0सं0–97 / 2016–17	शून्य	इकाई द्वारा लेखापरीक्षा दल को अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई | इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि प्रतिवेदन के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र तैयार कर प्रेषित कर दी जायेगी |	इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका |	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-सामान्य-

भाग – V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii)

2. **सतत अनियमितताएँ: -रोकड़ बही का अद्यतन न किया जाना**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री चमन सिंह	जिला पंचायतराज अधिकारी	27.09.16 से 14.09.2017
02.	श्री रणवीर सिंह असवाल	जिला पंचायतराज अधिकारी	14.09.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय